

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए विक्रय सूचना, परिशिष्ट-IV-A [नियम 8(6) के प्रावधान देखें]

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 संगठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम- 8(6) के अंतर्गत अचल संपत्तियों के विक्रय का ई-नीलामी विक्रय सूचना।

एतद्वारा जन साधारण को सामान्यतः एवं ऋणी(यों), बंधककर्ता(एँ) तथा जमानतदारों को विशेष तौर पर सूचित किया जाता है कि बैंक ऑफ़ बड़ौदा, प्रतिभूत ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्नवर्णित बंधक / प्रभारित अचल संपत्ति प्रतिभूत ऋणदाता के कब्जे में है, जिसका “जहाँ है, जैसी है, जो कुछ भी है” के आधार पर निम्नवर्णित बकाया राशि की वसूली के लिए विक्रय करने का निर्णय लिया गया है। ऋणकर्ताओं / बंधककर्ता / जमानतदार / सुरक्षित संपत्ति / बकाया राशि / आरक्षित मूल्य / ई-नीलामी तिथि एवं समय, ईएमडी और बोली वृद्धि राशि का विवरण निम्नवर्णित है :

क्र. सं.	ऋणी/ बंधककर्ता/ जमानतदार का नाम एवं पता	अचल सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण, जिसमें ज्ञात अदिभार (यदि कोई हो) भी शामिल है	कुल बकाया राशि/ ई-नीलामी की तिथि/ ई-नीलामी का समय	आरक्षित मूल्य	कब्जे की स्थिति (स्वनात्मक/भौतिक)
				ईएमडी	सम्पत्ति निरीक्षण तिथि एवं समय
01	मेसर्स होराइन इन्फोटेक प्रोप्राइटर: श्री सुशील कुमार वर्मा, रॉय बिल्डिंग, तृतीय तल, एयरपोर्ट रोड, हीनू, राँची - 834002, झारखंड प्रोप्राइटर : श्री सुशील कुमार वर्मा, पिता - सुधीर कुमार वर्मा, पलैट संख्या 201, द्वितीय तल, चन्द्रकला अपार्टमेंट, हेसाग, थाना - जगन्नाथपुर, राँची - 834003, झारखंड जमानतदार / बंधककर्ता : श्रीमती मिली वर्मा, पति - सुशील कुमार वर्मा, पलैट संख्या 201, द्वितीय तल, चन्द्रकला अपार्टमेंट, हेसाग, थाना - जगन्नाथपुर, राँची - 834003, झारखंड	पलैट संख्या यूनिट-1 का समतुल्य बंधक (Equitable Mortgage), जो द्वितीय तल पर स्थित है, जिसकी सुपर बिल्ट-अप एरिया 1206 वर्ग फीट है तथा भवन “चन्द्रकला अपार्टमेंट” के ग्राउंड फ्लोर में एक कार पार्किंग क्षेत्र सहित, ग्राम - हेसाग, थाना - जगन्नाथपुर, थाना संख्या - 247, जिला - राँची में अवस्थित है, तथा चन्द्रकला अपार्टमेंट के कॉमन एरिया में अधिकार सहित, श्री सुशील कुमार वर्मा, पिता - एस. के. वर्मा के नाम पर दर्ज है। सीमाएँ इस प्रकार हैं : उत्तर - कॉमन पैसेज, दक्षिण - यूनिट संख्या 2, पूर्व - यूनिट संख्या 3, पश्चिम - कॉमन पैसेज	₹ 27,61,519.85 + दिनांक 05.07.2022 से मांग सूचना के अनुसार अप्रयुक्त ब्याज एवं अन्य प्रभार सहित तथा संविदात्मक देय राशि दिनांक 31.12.2025 को ₹ 46,70,918.33 है, इसके अतिरिक्त लागत एवं ब्याज देय होगा।	₹. 36,45,000/-	सांकेतिक कब्जा 15.06.2026 पूर्वाह्न 11:00 से अपराह्न 03:00 बजे तक
				₹. 3,64,500/-	
				₹. 40,000/-	
			22.06.2026 अपराह्न 02:00 से अपराह्न 06:00 बजे तक		

बिक्री की विस्तृत शर्तों और नियमों के लिए, कृपया वेबसाइट लिंक <https://www.bankofbaroda.in/e-auction> एवं ऑनलाइन ऑक्शन पोर्टल <https://baanknet.com> देखें।

इसके अलावा संभावित बोलीदाता प्राधिकृत अधिकारी से मोबाइल नंबर 7542032124 पर संपर्क कर सकते हैं।

स्थान : राँची

दिनांक: 01.06.2026

विवाद/ त्रुटि की स्थिति में अंग्रेजी पाठ्य मान्य होगा।

ह0/- प्राधिकृत अधिकारी

बैंक ऑफ़ बड़ौदा, ROSARB राँची